	उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग **हरिद्वार–249404** **Website:psc.uk.gov.in**

संख्याः 102/78/03/डी0आर0(व्यवस्था)/सेवा–1/2022–23 **दिनांकः 22 सितम्बर, 2023**

विस्तृत विज्ञप्ति

व्यवस्थाधिकारी (राज्य सम्पत्ति विभाग) परीक्षा–2023

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि **राज्य सम्पत्ति विभाग के अंतर्गत व्यवस्थाधिकारी** के रिक्त 07 पदों हेतु प्रकाशित विज्ञापन सं0:– A-1/DR/(M.O)/S-1/2023 के सापेक्ष पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन दिनांक 18.09.2023 तक आंमत्रित किये गये थे।

2. उक्त विज्ञापन के **अति महत्वपूर्ण निर्देश के बिन्दु सं0–5** के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 18.09.2023 तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर प्रदान करते हुये अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गयी प्रविष्टियों में संशोधन/परिवर्तन **(Edit/Correction)** किये जाने हेतु केवल एक बार के लिए आयोग की बेवसाइट **psc.uk.gov.in** पर **Online Edit Window** लिंक **दिनांक 23.09.2023 से दिनांक 02.10.2023 (रात्रि 11:59:59 बजे तक)** तक खोला जायेगा, जिसके संबंध में दिशा–निर्देश निम्नवत् हैः–

(1) ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने के पश्चात् 05 कार्यदिवस के उपरांत **(Edit/Correction)** लिंक खोला जायेगा।

(2) **(Edit/Correction)** हेतु उक्त लिंक की समयावधि 10 दिन होगी।

(3) जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण की है, केवल वह अभ्यर्थी ही अपने ई–मेल आई0डी0 एवं पासवर्ड से लॉग–इन कर पायेंगे।

(4) लॉग–इन करने के पश्चात् अभ्यर्थी शर्तानुसार अपने भरे हुए डाटा में (मोबाइल नम्बर एवं ई–मेल आई0डी0 को छोड़कर) आवश्यकतानुसार संशोधन कर पायेंगे।

(5) अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में **Edit/Correction** की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी, उसके पश्चात् ही आवेदन पत्र में डाटा **Update** हो सकेगा।

(6) **Edit/Correction** की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् **Edited Data** ही अंतिम माना जायेगा।

(7) अभ्यर्थी द्वारा श्रेणी/उपश्रेणी में परिवर्तन किये जाने पर अभ्यर्थी को परिवर्तित श्रेणी/उपश्रेणी का **शुल्क विज्ञापन की शर्तों के अनुसार देय** होगा। किन्तु अगर अभ्यर्थी केवल ऐसी उपश्रेणी (डी0एफ0एफ0/उ0म0 इत्यादि) में बदलाव करता है जिससे शुल्क में कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो उस उपश्रेणी में बदलाव का कोई शुल्क देय नहीं होगा। अभ्यर्थी को **अन्य फील्डस में परिवर्तन/त्रुटि सुधार करने पर कोई शुल्क देय नहीं** होगा।

(8) अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में दिये गये शुल्क को रिफंड नहीं किया जायेगा।

3. इस संबंध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त **संशोधन/परिवर्तन (Edit/Correction)** के अंतिम अवसर के उपरान्त किसी भी दशा में अभ्यर्थी को उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित की गयी किसी भी प्रविष्टियों/दावों को संशोधित/परिवर्तित करने के प्रत्यावेदन/अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

Sd/-
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव।